

न्यायालय - उपरकण्ड अधिकारी जमवारामगढ (जपपुर)

दावा संख्या - 95/2014

- 1- वीजया पुत्र मोहरियो
- 2- केसरा पुत्र पिरदा
- 3- भूरा पुत्र पिरदा

समस्त जाति ईंगर निवासी. जमवारामगढ (जपपुर)  
राजस्थान

... वादीगण

बनाम

- 1- महेंद्र पुत्र दामो
- 2- गोपाल पुत्र दामो
- 3- छोटी पेवा दामो

समस्त जातियाम निवासियाम जमवारामगढ  
दिला जपपुर (राजप)

- 4- राजस्थान सरकार जलिय तहसीलदार  
जमवारामगढ (जपपुर)

... प्रतियादीगण

- 1- वादीगण वकील - श्री रामशंकर शर्मा
- 2- प्रतियादी वकील - श्री महेश शर्मा


दावा दावत तकासमा एवं  
रुपाई निपेधारा अन्तर्गत  
धारा 53, 188 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक, 16/02/2018

वादीगण ने एक-वाक दावत तकासमा  
एवं रुपाई निपेधारा का अन्तर्गत धारा  
53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
के तहत प्रेष क्रिया। वाक का संश्लेष में  
धिवरण इस प्रकार से है कि ग्राम-दोमुखा

P.T. 03

  
उपरकण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ

दावा संख्या - 95/2014

उत्तम - वीज्या वनाम महेड व काम

(2)

तहसील जमवारामराठ पिला पपुसे के आराजी रकम 1.00 रकम 1.6200 है। पिसमें वारी रकम 1 का हिस्सा 114, वारी संख्या 23 का हिस्सा 114, प्रतिवारी सं। लगापत 3 का संयुक्त हिस्सा 114 राजस्थ रिकॉर्ड दर्ज है

उक्त वांछित भूमि का विधिक परिवारा नही हुआ है वादग्रह भूमि का प्रतिवारीगण बेचान करने पर आगस्त है परिवारा करने को गलत तो इन्कार कर दिया। इसीलिए वाद प्रस्तुत करने आवश्यक हुआ।

वादीराज ने प्रस्तुत वाद पत्र के मसुदा लगापत 10 में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अनुतोष-वाह कि विद्वानित भूमि रकम 1.00 का तकासमा किया जाकर रकम व लगान अलग-अलग धायम किया जावे।

उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलमी प्रतिवारीगण की जारी की गई दिनांक 14/3/16 को प्रतिवारीगण 1.04 को नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए अदालत करने पर प्रतिवारीगण 1.04 की जोपर तामील हुई है। प्रतिवारी सं. 2 व 3 को ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा उपस्थित हुए।

दिनांक 30/6/17 को लोक अदालत कम्र जमवारामराठ में वाद में प्राथमिक सिद्धि किया जाकर निर्देश तहसीलदार जमवारामराठ को दिये कि वे स्पष्ट भूके पर जाकर दोनों पक्षों को सूचित करते हुए कुर्रैणत के प्रस्ताव बेचान कर कुर्रैणत रिपोर्ट भिजवावे।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जमवारामराठ ने अपने पगांक 9710 दिनांक 22/11/17 के द्वारा कुर्रैणत रिपोर्ट पेश की। प्राप्त कुर्रैणत रिपोर्ट पर उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस खुली गई। अहत सुनने व प्रतापणी का अदालत करने कर प्रस्तुत कुर्रैणत रिपोर्ट के आधार पर वाद में अन्तिम सिद्धि निम्न प्रकार से पारित की जाती है:-

11.12.05

उपस्थित अधिकारी  
जमवारामराठ

दाख संख्या - 95/2014

उत्तमान - पीप्या बनाम अहेड व काय

(3)

- 1- केसरा, भूसा पि० नियरदा हिस्सा 1/2, पीप्या  
भुज मोरिया हिस्सा 1/2 पाति ईंगर निवासी  
जगदाराभराठ को खण्ण 1.00/1/खण्ण 0.010  
वत्सनी 3 लशान 1.62 कपडे कापडा कियत पाजहे
- 2- अहेड; गोपाल. पि० दामो, द्रोती वेव, रूप दामो  
पाति ईंगर निवासी जगदाराभराठ को खण्ण 1.00/1  
खण्ण 0.0100 लशान 1.62 कपडे कापडा कियत  
पाजहे

इसप्रकारानुसार याद में अहिम डिही  
पाति को पाती हे डिही पाती हे कियत व  
डिही को प्रति लखीलदार जगदाराभराठ को पाजपात  
हेतु मिप्याड पाजे

पगोवली फेराल सुगा हेकर गम्बर  
से काय हे। याद याद अति दायिल रूप हे

निर्णय काय दिनांक 16/02/2018 के खुले  
अभ्यालय सुगाय बाय

  
उपखण्ड अधिकारी  
जगदाराभराठ